इलेक्शन टुडे

दिनांक - 04 नवम्बर 2018 अंक – 27

विधानसभा आम चुनाव -2018

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 15 लाख 83 हजार 686 प्रकरण पंजीबद्ध

भोपाल : रविवार, 04 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 29 हजार 83 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही 2 हजार 740 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 2 लाख 52 हजार 384 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 15 लाख 83 हजार 686 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 15 लाख 31 हजार 412 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 12 लाख 19 हजार 632 प्रकरण पंजीबद्ध कर 11 लाख 86 हजार 946 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 3 लाख 64 हजार 54 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 लाख 44 हजार 466 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसी दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर 10 हजार 106 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

मतदान केन्द्र पर होगी वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश

भोपाल : रविवार, 04 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस 28 नवम्बर के दिन मतदाता को मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिये फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किये हैं। प्रदेश में लगभग सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही आयोग द्वारा यह भी सुनिश्चित

किया गया है कि इस बार मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची आयोग द्वारा घर-घर बांटी जाएगी। मतदान के समय मतदाताओं को इस पर्ची से मतदान की सुविधा प्राप्त होगी। मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र और मतदाता पर्ची मतदान के समय उपलब्ध कराना होगी।

आयोग ने मतदाताओ को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है । वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। तब मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा - पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों का फोटोयुक्त कर्मचारियों को जारी परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन, मनरेगा जॉबकार्ड, जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, सांसदो-विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये शासकीय पहचान पत्र शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा।

प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पाएंगे।

==

विधानसभा चुनाव 2018 में ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएट मशीन से होगा मतदान

भोपाल : रविवार, 04 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलूरू और इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा बनाई गयी ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और व्हीव्हीपीएट (वोटर वेरिफायरबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीन को विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान के लिये अनुमोदित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिये उपयुक्त दोनों मशीनों का उपयोग होगा।

आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएट मशीन उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी दोनों मशीन का दक्षता पूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं और निर्वाचक भी ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएट की कार्यप्रणाली से पूर्णत: परिचित हैं। अत: विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदान और रिकार्ड करने के लिये इन मशीनों का उपयोग होगा।

विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान के लिये ईव्हीएम के साथ व्हीव्हीपीएट मशीन जोड़ी जाएगी। इव्हीएम मशीन में निर्वाचक द्वारा संबंधित प्रत्याशी के सम्मुख का बटन दबाने से मतदान होगा और निर्वाचक द्वारा दिये गये मत की सुनिश्चितता के लिये व्हीव्हीपीएट मशीन में सात सेकण्ड तक पर्ची दिखेगी। उस पर्ची पर संबंधित प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। यह पर्ची सात सेकण्ड बाद ड्राप बॉक्स में गिर जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक द्वारा दिया गया मत उसी प्रत्याशी को मिला है।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP